

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 689

दिनांक:- 21.6.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- जमशेदपुर वन प्रमडल अन्तर्गत पिपला मोड़ (एन0एच0-33) से घोड़ाबान्धा होते हुये गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अधिसूचित वनभूमि 16.04 हे0 जंगल-झाड़ी 0.71 हे0 कुल 16.75 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का पत्रांक 1982 दिनांक 15.06.2019

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना FP/JH/Road/30610/2017 हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक - वनभूमि - 18/2018-4896 दिनांक 06.12.2018 द्वारा कुल 15 शर्तों पर स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा कार्यनुमति हेतु अनुसंशा प्रासंगिक पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत है।

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन की स्थिति
I	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure - I
II	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(c) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 16.75 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 13450250/- (एक करोड़ चौतीस लाख पचास हजार दो सौ पचास) रुपये NPV मद की राशि राज्य कैम्पा खाता संख्या 150726130610125 में चालान द्वारा स्थान्तरित कर दिया गया है Annexure-II
III	यदि NPV के दर में कोई सशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-III
IV	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CAMPA खाता में जमा की गई राशि की विवरणी निम्नवत है:- NPV मद में 13450250.00 वन्य प्राणी प्रबंध योजना मद में 9958000.00 23408250.00 (दो करोड़ चौतीस लाख आठ हजार दो सौ पचास रू0 मात्र) Annexure-II
V	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में कम-से-कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 677 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-V

VI	प्रस्तावित अपयोजन के कारण वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को Mitigate करने के उद्देश्य से वन्य प्राणी प्रबंध योजना तैयार कर इसके कार्यान्वयन हेतु राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में CWLW झारखण्ड से अनु वन्य प्राणी संरक्षण योजना के तहत 9958000/- (निन्यान्वे लाख अठावन हजार) रूपए प्रयो अभिकरण द्वारा कैम्पा खाता नं०- 150726130610590 E-Challan द्वारा जमा कर दिया गया है, इससे संबंधित Challan की प्रति सलग्न है। Annexure-VI
VII	प्रस्तावित पथ निर्माण के उपरान्त पथ के दोनों तरफ उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-VII
VIII	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-VIII
IX	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-IX
X	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन, परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-X
XI	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/टेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-XI
XII	अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-XII
XIII	सूर्यास्त से सूर्योदय तक समानयतः वनभूमि पर पथ निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-XIII
XIV	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-XIV
XV	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त अनुपालन नहीं करने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Undertaking समर्पित किया गया है। Annexure-XV

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-1 में लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। साथ ही C.A Levies Fórmate भरते हुए कार्यानुमति की मांग की गई है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यानुमति हेतु अनुसंशा की गई है।

अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अंतिम स्वीकृति तथा कार्यानुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-

दिनांक :

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 689

दिनांक : 21.6.19

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

21.6.19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF NH-33 (PIPLA MORE) TO GOBINDPUR
ANNA MORE VIA GHORABANDHA ROAD 16.75 ha.
FOREST LAND.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

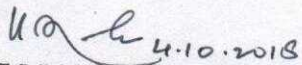
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for diversion of 16.75 (Forest 16.04 + JJ
forest- 0.71) ha. Forest land.*

Date :- 04.10.2018

Place :- Ranchi.

Signature


(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation

*Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Barhband Ranchi
(Official Seal)*